झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–614 वर्ष 2017

सोनामणि देवी, पत्नी–स्वर्गीय लखन महतो उर्फ लखन कुमार महतो, निवासी ग्राम–किस्टो, डाकघर–बहेरा, थाना–पिपरवाल, जिला–चतरा, झारखण्ड, वर्तमान निवासी ग्राम–उलातु, डाकघर–मक्का, थाना–बरमू, जिला–राँची (झारखण्ड) .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा निदेशक अभियान, दरभंगा हाउस, राँची जिनका कार्यालय दरभंगा हाउस, डाकघर–जी0पी0ओ0, राँची, थाना–सदर, जिला–राँची (झारखण्ड) है।
2. नीतू कुमारी, पुत्री–महादेव प्रसाद, निवासी ग्राम–आमनारी ताटी झारिया, डाकघर एवं थाना–ताटी झारिया, जिला–हजारीबाग (झारखण्ड)।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चंद्रशेखर**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री पवन कुमार पाठक, अधिवक्ता

उत्तरदाता–सी0सी0एल0 के लिएः– श्री स्वाति शालिनी, अधिवक्ता

5 / 17.07.2017 याचिकाकर्ता ने खुद को कर्मचारी लखन महतो का कानूनी रूप से विवाहित पत्नी होने का दावा करते हुए अपने पति की मृत्यु के कारण अर्जित मृत्यु–सह–सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान के लिए प्रतिवादी–मेसर्स सी0सी0एल0 को निर्देश देने की मांग की है।

2. याचिकाकर्ता का दावा है कि वर्ष 2009 में जब उसके पति एक महिला नीतू कुमारी को घर पर लाया और पति–पत्नी के रूप में उसके साथ रहना शुरू कर दिया, तब उसने मजबूर होकर शिकायत वाद संख्या–1826/2013 दायर किया। इस शिकायत वाद के मामले में, कर्मचारी–लखन महतो ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत दी गई। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि शिकायत वाद अभी भी लंबित है, हालांकि, यह एक तथ्य है कि कर्मचारी–लखन महतो की मृत्यु दिनांक 03.09.2016 को हो गई। कर्मचारी की मृत्यु के बाद, अब याचिकाकर्ता ने उसे मृत्यु–सह–सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान के लिए इस न्यायालय से संपर्क किया है। जवाबी हलफनामे में उत्तरदाताओं ने निवेदन किया है कि कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड में श्रीमती नीतू देवी का नाम उनकी पत्नी के रूप में दर्ज किया गया है और उन्हें फॉर्म–जी में भी नामित किया गया है। उपरोक्त तथ्यों में, कर्मचारी की मृत्यु के कारण अर्जित सभी स्वीकार्य मृत्यु–सह–सेवानिवृत्त लाभों का भुगतान श्रीमती नीतू देवी को किया गया है।

3. उपरोक्त तथ्यों से, अब याचिकाकर्ता का दावा है कि वह कर्मचारी–लखन महतो की कानूनी रूप से पहली पत्नी है, को इस कार्यवाही में निर्णायक रूप से तय नहीं किया जा सकता है। कर्मचारी–लखन महतो की पत्नी के रूप में याचिकाकर्ता की स्थिति और विशेष रूप से उक्त कर्मचारी की कानूनी रूप से पहली पत्नी के रूप में केवल सक्षम अधिकार क्षेत्र केएक सिविल कोर्ट द्वारा तय किया जा सकता है।

4. उपरोक्त तथ्यों में, इस स्तर पर याचिकाकर्ता को मृत्यु–सह–सेवानिवृत्त लाभों का भुगतान करने के लिए उत्तरदाताओं को कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है,

हालांकि, याचिकाकर्ता क पास उपरोक्त मुद्दों की घोषणा की मांग करने के लिए सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता है।

5. रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(श्री चंद्रशेखर, न्याया0)